

वी. रामास्वामी, सी.जे. और जी.आर. मजीठिया से पहले, जे.

आर. डी. गुलहाटी,—

-अपीलकर्ता।

बनाम

परभा बत्रा,

प्रतिवादी।

1989 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 261।

9 मई 1989.

पत्र पेटेंट, 1919-खंड X-सिविल पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश-पत्र पेटेंट ऐसे आदेश के खिलाफ अपील- की रखरखावीयता निवेदन।

माना गया कि जिस आदेश के खिलाफ अपील की जानी है, वह भी होगी इसे पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया गया माना जाएगा। के खिलाफ के रूप में पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में दिए गए आदेश के तहत कोई अपील नहीं की जा सकती लेटर्स पेटेंट का खंड एक्स। अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपील तदनुसार, रखरखाव योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

लेटर पेटेंट के खंड एक्स के तहत पत्र पेटेंट अपील माननीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 1988 के विरुद्ध सिविल विविध में श्री न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान। 1988 और में नंबर 5085-सीआईआई1988 का नागरिक संशोधन संख्या 138।सिविल विविध. 1989 की संख्या 4164.

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना है कि ऑपरेशन हो जाए कृपया विचाराधीन अवधि के दौरान विवादित आदेश पर रोक लगाई जाए माननीय न्यायालय में अपील की।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एच. एन. मेहतानी।

आदेश

जो अपील दायर करने की मांग की गई है वह आदेश के खिलाफ हैसी.एम में बनाया गया 1988 के सीआर नंबर 138 में 1988 का नंबर 5085। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश 'की प्रकृति का हिस्सा है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार जिसका उपयोग उसके द्वारा निपटान में किया जा सकता है। सी.आर., क्रमांक 138/1988। यह आदेश नागरिक पुनरीक्षण के विरुद्ध नहीं टिक सकता-सायन याचिका. इन परिस्थितियों में, आदेश की अपील की जानी थी। विरुद्ध को भी पुनरीक्षण के अभ्यास में किया गया माना जाएगा क्षेत्राधिकार। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में किये गये आदेश के विरुद्ध क्र.सं अपील 'पत्र पेटेंट' के खंड एक्स के अंतर्गत आती है। ये अपील है तदनुसार, रखरखाव योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़, हरियाणा

